

20-8-19

वकील वादी उप०। तथा वादिया भी छप०।
 वकील वादिया के एक प्रा.पत्र ०२३ र।
 एक पेष किया। प्रा० पत्र पर और बिना
 गया; प्रा० पत्र ०२३ र। एक खीकार
 किया जाकर दावा वादिया खारिज किया
 जाता है पत्रावली फंसल सुमाए डेकर
 दाखिल नफ्तार है। (२)

उपस्रण्डाधिकारी
 बादी (धौलपुर) राज०

श्रीरादेवी
~~7-1-19~~
 1919